न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– पंकज कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व मुल वाद संख्या – 11/2023

वादी :–

रामसुख पुत्र श्री कासबराम जी, जाति विश्नोई, निवासी – विश्नोइयो की ढाणी, ग्राम उचियारडा, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. ओमाराम पुत्र स्व. श्री सुरजाराम जी,
2. पाबुराम पुत्र स्व. श्री सुरजाराम जी,
3. जालाराम पुत्र स्व. श्री सुरजाराम जी,
4. श्रीमती रामुडी पत्नी स्व. श्री सुरजाराम जी
5. भाकराम पुत्र स्व. श्री मगलाराम जी,
6. सोनाराम पुत्र स्व. श्री मगलाराम जी,
7. श्रीमती अचकी देवी पत्नी श्री बाबुलाल

सभी जातियान विश्नोई निवासीगण– विश्नोईयो की ढाणी, ग्राम उचियारडा तहसील व जिला जोधपुर ।

8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर ।

वाद वास्ते घोषणा एंवम खातेदारी दर्ज करने

उपस्थिति

01. वादी की तरफ से अधिवक्ता ओमप्रकाश प्रजापति
02. प्रतिवादीगण की तरफ से अधिवक्ता राजेश चौधरी
03. प्रतिवादी संख्या08 की तरफ से राजकीय पैरोकार

निर्णय **दिनांक** 07/3/24

वाद के सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम उचियारडा, पटवार हल्का नान्दडा कलां, भु.अ.नि. जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नं. 95 मे रकबा 24 बीघा 18 बिस्वा, भूमि किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 97 मे रकबा 21 बीघा 12 बिस्वा, भूमि किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं 107 मे रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, भूमि किस्म बारानी प्रथम, कुल खसरा 3 रकबा 51 बीघा 4 बिस्वा भूमि आई हुई है । उक्त खसरान की भूमि वादी व अन्य सह खातेदारो की पूश्तैनी रही है जिसकी खातेदारी सुरजाराम पुत्र गुलाराम 1/2, हिस्सा मंगलाराम पुत्र मालाराम 1/2 हिस्सा, जातियान विश्नोई सा खातेदार के नाम से राजस्व अभिलेख मे रही है। खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

सुरजाराम के फौत होने पर उनकी हिस्सा भूमि जरिये म्युटेशन संख्या 149 विरासत व हकतर्क के प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम से दर्ज हो गई । इसी प्रकार खातेदार मंगलाराम के फौत होने पर उनका हिस्सा भूमि जरिये म्युटेशन संख्या 148 उनके वारिसान भाकरराम व सोनाराम के नाम से दर्ज हो गई । वादी ने जाहीर किया कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 से 4 आपस में एक ही परिवार से है । वादी के पिता कासबराम व प्रतिवादी के पिता सुरजाराम सगे भाई थे जो गुलाराम जी के पुत्र थे। प्रतिवादीगण के पिता सुरजाराम जी बडे थे । इसलिये उक्त खसरो की भूमि प्रतिवादीगण के पिता के नाम से दर्ज हो गई। बाद मे कासबराम जी के दो पुत्र हुये जिसमे से एक पुत्र बाबुलाल ने अपनी हिस्सा भूमि अपनी पत्नी के नाम से प्राप्त कर ली शेष बची भूमि 12 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादी के हिस्से मे रही जो वादी प्राप्त करने का हकदार है। प्रतिवादी संख्या 5 से 7 उक्त भूमि में बतौर खातेदार काबिज काश्तकार होने से उन्हे पक्षकार मुकदमा बनाया गया उनके खिलाफ किसी प्रकार की राहत नही चाही गई है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 5 से 7 को तर्क किया गया

प्रतिवादी गण 1 से 4 ने जबाब पेश कर जाहीर किया कि वादी के पिता कासबराम एंवम प्रतिवादीगण के पिता सुरजाराम सगे भाई थे अर्थात एक ही पिता गुंलाराम जी के पुत्र थे । चुकि सुरजाराम जी बडे थे एंव कासबराम जी छोटे थे इसलिये शुरू से ही उक्त खातेदारी भूमि प्रतिवादीगण के पिता सुरजाराम के नाम से दर्ज हो गई तथा अन्य खातो मे भी सुरजाराम व कासबराम जी के मध्य बंटवाडा हो गया । यहां यह उल्लेखित करना उचित है कि कासबराम जी ने उपरोक्त खसरान की कृषि भूमि पर अपना मकान व रहवासीय ढाणी व टांका व पशुओ का चारागृह बना कर अपने हिस्से की भूमि तक हदबंदी/तारबंदी कर ली । इसलिये उक्त भूमि कासबराम जी के हिस्से मे रखी गई जिस पर वादी के पिता कासबराम जी का ही कब्जा काश्त रहा । चुकि स्व. कासबराम जी के एक पुत्र बाबुलाल जो वादी रामसुख का भाई भी है जिन्होने अपने पिताजी की भूमि का हिस्सा प्राप्त करने के लिये प्रतिवादीगण को कहने पर उसकी हिस्सा भूमि बाबुलाल की पत्नी अचकी देवी के नाम से करवा दी गई जिसका इन्द्राज राजस्व रेकर्ड मे हो चुका है। कासबराम जी का हिस्से की शेष भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है जिसमे वादी अपने नाम करवाने के लिये स्वंतत्र है। प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की उज्र एतराज नही है, साथ ही उन्होने अपने जबाब में यह भी बताया कि वादी की कब्जा काश्त भूमि, खातेदारी की भूमि अपने नाम से करवाते है तो उसमें प्रतिवादीगण का सहयोग रहेगा। साथ ही यह भी कहा कि वादी की कब्जा काश्त रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा की भूमि खातेदारी घोषणा की जाती है तो प्रतिवादीगण को कोई उज्र एतराज नही रहेगा।

प्रतिवादी द्वारा वादोउत्तर प्रस्तुत किये जाने पर वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा अपना वादोउत्तर प्रस्तुत करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अभिवचनो तथा तथ्यो को स्वीकार

उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

किया जा चुका है। जिससे यह सिद्व है कि पक्षकारान् के मध्य हक अधिकारो को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद भी नही है । ऐसी स्थिति मे प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत स्वीकृति के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री योग्य होने के कारण डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया गया प्रतिवादीगण द्वारा वादी के उपरोक्त प्रार्थना पत्र लिखित रूप से किसी प्रकार का कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नही कर सीधे ही बहस की गयी।

बहस उभय पक्षकारान् सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पक्षकारान् के अभिवचनो का समग्र रूप से अवलोकन करने पर यह स्थिति जाहिरा तौर पर स्पष्ट होती है कि वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार काश्तकार गुलाराम जी थे। जिनकी मृत्युपरांत फौतेगी नामांतकरण उनके ज्येष्ठ पुत्र सुरजाराम अकेले के नाम नामांतकरण पारित किया गया। जबकि मृतक गुलाराम के अन्य पुत्र वादी के पिता कासबराम तत्समय जीवित थे। श्री गुलाराम जी की वादग्रस्त जायदाद पर उनके दोनो ही पुत्रो सुरजाराम तथा कासबराम समान रूप से अपने अपने हक हिस्से की भूमि पर मौके पर काबिज भी है। जिन तथ्यो को प्रतिवादीगण स्वयं द्वारा भी स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति मे पक्षकारान् के मध्य अधिकारो को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद भी नही रह जाता है चूंकि वादी द्वारा की गयी मांग को प्रतिवादीगण द्वारा अपनी स्वीकृति के जरिये स्वीकार किया जा चुका है। ऐसी स्थिति मे वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6 व्यवहार प्रकिया संहिता स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री योग्य है।

आदेश

फलतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6 व्यवहार प्रकिया संहिता स्वीकार कर वाद वादी डिक्री करते हुए वादी को ग्राम उचियारडा, पटवार हल्का नान्दडा कलां, भु.अ.नि. जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नं. 95 मे रकबा 24 बीघा 18 बिस्वा, भूमि किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 97 मे रकबा 21 बीघा 12 बिस्वा, भूमि किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं 107 मे रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, भूमि किस्म बारानी प्रथम, कुल खसरा 3 रकबा 51 बीघा 4 बिस्वा मे से 12 बीघा 5 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के स्थान पर घोषित किया जाता है तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(पंकज कुमार) आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

आदेश आज दिनांक 07/3/24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर व मुद्रांकन सुनाया गया।

7/3/24.
(पंकज कुमार) आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

अजअदालत न्यायालय सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, (उत्तर), जोधपुर मुकाम जोधपुर
बइजलास पंकज कुमार ,आर.ए.एस.

वादीः– रामसुख पुत्र श्री कासबराम जी, जाति विश्नोई, निवासी – विश्नोइयो की ढाणी, ग्राम उचियारडा, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. ओमाराम पुत्र स्व. श्री सुरजाराम जी,
2. पाबुराम पुत्र स्व. श्री सुरजाराम जी,
3. जालाराम पुत्र स्व. श्री सुरजाराम जी,
4. श्रीमती रामुडी पत्नी स्व. श्री सुरजाराम जी
5. भाकराम पुत्र स्व. श्री मगलाराम जी,
6. सोनाराम पुत्र स्व. श्री मगलाराम जी,
7. श्रीमती अचकी देवी पत्नी श्री बाबुलाल
   सभी जातियान विश्नोई निवासीगण– विश्नोईयो की ढाणी, ग्राम उचियारडा तहसील व जिला जोधपुर ।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर ।

वाद अंतर्गत धार 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दावा बाबत 88, 188 आर0टी0एक्ट में मुकदमा नम्बर 11/2023 यह मुकदमा वास्ते इनकिलास कतई रूबरू हमारे वादी अधिवक्ता श्री, ओम प्रकाश प्रजापत व प्रतिवादीगण की तरफ से श्री राजेश चौधरी एवं राजकीय पैरोकार पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिकी दी जाती है कि वादी को ग्राम उचियारडा, पटवार हल्का नान्दडा कलां, भु.अ.नि. जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नं. 95 मे रकबा 24 बीघा 18 बिस्वा, भूमि किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 97 मे रकबा 21 बीघा 12 बिस्वा, भूमि किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं 107 मे रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, भूमि किस्म बारानी प्रथम, कुल खसरा 3 रकबा 51 बीघा 4 बिस्वा मे से 12 बीघा 5 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के स्थान घोषित किया जाता है।

लीज.....x..... मुबलिक .. x ..... बाबत ग खर्चा इस मुकदमें के मय सुद वगैरा x की सदी सलाना आज तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ... x को अदा करे।

वसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 07/3/24 जारी की गई।

(पंकज कुमार) आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर)जोधपुर

मुदाई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प जारी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकिल		
खर्चा अह्वान			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मतफरिक			मतफरिक		

नोट– इस खर्च के फार्म हर दी फरीकेन या वाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए

7/3/24

(पंकज कुमार) आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर)जोधपुर